रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2005/ज्येष्ठ 10, 1927
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2005/JYAISTHA 10, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

सा.का.नि. 345(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये पहली अगस्त, 2005 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में-

(क) नियम 2 में, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) 'अप्रत्यक्ष विज्ञापन' से अधिनियम की धारा 5(1) में वर्णित से निम्नलिखित अभिप्रेत है:

(i) अन्य मालों, सेवाओं और घटनाओं के विपणन, अभिवृद्धि या विज्ञापन के लिए किसी तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का उपयोग;